चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 11.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 11.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 11.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये

(4). प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आरक्षी ना.पु.(सीधी भर्ती/मृतक आश्रित) आधारभूत प्रशिक्षण पाठयक्रम-2025 द्वारा रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दिशा – निर्देश निर्गत किये गये है, जिसके क्रम में आज दिनांक 11.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन चित्रकूट में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 449 रिक्रूट आरक्षियों के भावनात्मक/मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिगत मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता को आमंत्रित किया गया । परामर्शदाता डॉ0 सचेन्द्र उपाध्याय, जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट द्वारा प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव व आरटीसी प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार यादव की उपस्थिति में प्रशिक्षण संस्थान आरटीसी पुलिस लाइन चित्रकूट स्थित कान्हा सभागार में प्रशिक्षणरत 449 रिक्रूट आरक्षियों को भावनात्मक/मानसिक रूप से सुदृढ़ एवं आत्मबल बढ़ाने हेतु संवाद किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी व उनकी टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।

आवेदिका निर्मला पत्नी सुरेन्द्र कुमार निवासिनी शोभा सिंह का पुरवा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने थानाध्यक्ष महिला थाना के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे पति व ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग करते है और मारपीट कर गाली गलौज करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । पति-पत्नी आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी

2.महिला मुख्य आरक्षी लता त्रिपाठी

3.महिला आरक्षी नीतू नायक

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्रीमती अनुपमा तिवारी के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्रीमती नीलू मैनवाल द्वारा आज दिनाँक 11.09.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 78/21 धारा 376 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त छंगु उर्फ मंगल पुत्र जगतपाल उर्फ चुनवाद निवासी पटियाजब्ती मजरा कोहारी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है दिनाँक 03.07.021 को थाना पहाड़ी अन्तर्गत निवासी वादी द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी गयी कि उनकी माँ के साथ अभियुक्त छंगु उर्फ मंगल उपरोक्त ने उसी के बगीचे में दुष्कर्म किया। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 78/21 धारा 376 भा0द0वि0 बनाम छंगु उर्फ मंगल उपरोक्त पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन व0उ00नि0 स्व श्री तपेश मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी,दिनाँक 07.07.021 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर,दिनाँक 29.09.021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0) श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 11.09.2025 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0स0 97/012 धारा 279,337,338,427 भादवि0 व धारा 184 एमवी एक्ट के अभियुक्त रामबाबू पुत्र उमाशंकर निवासी बधवारा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 5000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0) श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 11.09.2025 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0स0 157/014 धारा 279,337,338,427 भादवि0 के अभियुक्त मुन्ना पुत्र सुखराज निवासी रानीपुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनांक 11.09.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 42/2017 धारा 279,337,338,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त हुसैन अली पुत्र अली बक्श उर्फ मेवालाल निवासी आमगोदर टकटई थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज को न्यायालय उठने तक की सजा व 2600/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री ओमकार सिंह यादव व आरक्षी मोहित कुमार द्वारा अ0सं0 470/14 धारा 147,148,149,307,401,411 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र रामआसरे निवासी तरौंहा थाना कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(11).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री मनोज कुमार मार्गदर्शन में उ0नि0

श्री अतीन्द्र सिंह चौहान तथा उनकी टीम द्वारा मु0न0 2584/2020 धारा 138 NI Act के वारंटी अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र रामनिहोरे गुप्ता निवासी रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर ,01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास का विवरण-

1.मु0न0 2584/2020 धारा 138 NI Act माननीय न्यायालय कर्वी चित्रकूट

2.मु0अ0स0 153/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री अतीन्द्र सिंह चौहान

2.उ0नि0 श्री अभिषेक

3.आरक्षी नरेन्द्र सिंह

(12).क्षेत्राधिकारी राजापुर द्वारा सर्किल राजापुर के थाना राजापुर, थाना सरधुवा, थाना पहाड़ी समस्त विवेचकों का अर्दली रुम कर लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

आज दिनाँक 11.09.2025 को क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राजकमल द्वारा थाना राजापुर, थाना सरधुवा, थाना पहाड़ी के समस्त विवेचकों का अर्दली रुम निम्न बिन्दुओं पर किया गया ।

1.लंबित विवेचनाएं व अहकामात।

2.E–साक्ष्य ऐप से अधिकाधिक SID जेनरेट कर FIR से लिंक करना।

3.E–summon का समयबद्ध तामीला।

4.E–challan की समुचित कार्यवाही।

5.IGRS/प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण।

6.प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही।

7.चोरी, नकबजनी, टप्पेबाजी की घटनाओं का सफल अनावरण व प्रभावी रोकथाम।

8.महिला/दलित उत्पीड़न संबंधी अपराधों में प्रभावी व समयबद्ध कार्यवाही ।

9.CS/FR का माननीय न्यायालय में दाखिला के संबंध में।

10.फरियादियों के साथ मृदुल व्यवहार, उनकी समस्या को सुनने के लिए पर्याप्त समय देना तथा तदनुरूप आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाकर समस्या का समुचित निस्तारण करना आदि।

11.क्षेत्र में अनवरत फैल रही अफवाहों के दृष्टिगत लोगों को जागरूक करना, अफवाहों पर ध्यान न देना, अफवाहों की जांच कर समुचित कार्यवाही करना तथा अफवाह फैलाने वाले शरारती तत्वों पर विधिक कार्यवाही करना ताकि कोई भीड़ हत्या जैसा कोई गंभीर अपराध घटित न होने पाए।

अर्दली रुम के दौरान थानाध्यक्ष सरधुवा श्री राम सिंह ,थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी, थानाध्यक्ष पहाड़ी श्रीमती अनुपमा तिवारी एवं अन्य विवेचकगण उपस्थित रहे।

(13) प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

यातायात पुलिस द्वारा प्रर्वतन कार्यवाही के दौरान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 207 की उपधारा 1 के अन्तर्गत जब्त किये गये 30 वाहनों की नीलामी थाना कोतवाली कर्वी में की गयी।

आज दिनांक 11.09.2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2025 तथा सचिव गृह (पुलिस), अनुभाग -03 उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 609/छ: -पु0-09-2025-1892526 दिनांक 21.04.2025 के अनुपालन में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के पत्र सं0 डीजी-सात-एस- 14(26) 2024 दिनॉकित 29.07.2025 के अनुपालन में यातायात पुलिस द्वारा प्रर्वतन कार्यवाही के दौरान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 207 की उपधारा 1 के अन्तर्गत जब्त किये गये,कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के परिसर में खड़े 30 वाहनों की माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर्वी चित्रकूट की अनुमति से श्रीमान उप जिलाधिकारी / ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कर्वी के द्वारा नामित नायब तहसीलदार (सीलिंग) एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, यातायात प्रभारी श्री शैलेन्द्र सिंह की उपस्थिति में नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की गयी।